



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव किशोर दुबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशव Shri R.K. Dubey Chairman & Managing Director



श्रीमती अर्चना एस. भार्गव कार्यपालक निदेशक (22/04/2013 तक) Smt. Archana S. Bhargava Executive Director (till 22/04/2013)



श्री अशोक कुमार गुप्ता कार्यपालक निदेशक Shri Ashok Kumar Gupta **Executive Director**



श्री वी. एस. कृष्ण कुमार कार्यपालक निदेशक (04/04/2013 से) Shri V. S. Krishna Kumar Executive Director (from 04/04/2013)



श्रीमती सुधा कृष्णन भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक Smt. Sudha Krishnan Director Representing Govt. of India



श्रीमती मीना हेमचंदा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक

Smt. Meena Hemchandra Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. सांबशिव राव कामगार कर्मचारी निदेशक



श्री जी. वी. मणिमारन अधिकारी कर्मचारी निदेशक



श्री खालिद लुकमान बिल्ग्रामी सन्तर्व लेखाकार वर्ग के तहत अंशकालिक अनिधकारिक निदेशक Shri Khalid Luqman Bilgrami Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category









श्री सुतानु सिन्हा अंश्राकालिक अनधिकारिक निदेशक Shri Sutanu Sinha Part-time Non-Official Director



श्री पी. वी. मय्या शेयरधारक निदेशक Shri P. V. Maiya Shareholder Director



श्री सुनील गुप्ता शेयरधारक निदेशक Shri Sunil Gupta Shareholder Director





वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013





ANNUAL REPORT 2012-2013



वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013		ANNUAL REPORT 2012-2013	
- विषयवस्तु		CONTENTS	
1. नोटिस	4	1. NOTICE	4
2. प्रगति की एक झलक	28	2. PROGRESS AT A GLANCE	28
 निदेशकों की रिपोर्ट 		3. DIRECTORS' REPORT 2012-2013	29
**	29	 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 	30
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	30	CANARA BANK IN 2012-2013	34
• केनरा बैंक वर्ष 2012–13 में	34	CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	71
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	71	DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT ACCURACY CONTROL	72
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	72	 ACKNOWLEDGEMENT BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 	72 73
• धन्यवाद	72	5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON	/ 3
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	73	CORPORATE GOVERNANCE	94
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	94	6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE	110
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	118	GOVERNANCE 7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	118
7. एकल वित्तीय विवरण		AUDITORS' REPORT	121
· लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	121	BALANCE SHEET	124
• तुलन पत्र	124	PROFIT AND LOSS ACCOUNT	125
• लाभ व हानि खाता	125	SCHEDULES FORMING PART OF THE	
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	126	BALANCE SHEET	126
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	134	SCHEDULES FORMING PART OF THE	
• लेखांकन नीतियाँ	136	PROFIT AND LOSS ACCOUNT	134
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	144	ACCOUNTING POLICIESNOTES ON ACCOUNTS	136 144
• स्तंभ 3 (बासेल ॥) प्रकटन	185	PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	185
• नकद प्रवाह विवरण	217	CASH FLOW STATEMENT	217
8. समेकित वित्तीय विवरण		8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	,
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	220	AUDITORS' REPORT	220
• समेकित तुलन पत्र	223	CONSOLIDATED BALANCE SHEET	223
• समेकित लाभ व हानि खाता	224	 CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 	224
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	225	SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	225
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश		SCHEDULES FORMING PART OF THE	223
बननेवाली अनुसूचियाँ	232	CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	232
• लेखांकन नीतियाँ	234	 ACCOUNTING POLICIES 	234
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	242	 NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 	242
 समेकित नकद प्रवाह विवरण 	255	CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	255
9. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का शेयरधारकों को संबोधन	257	9. CHAIRMAN & MANAGING DIRECTORS' ADDRESS	200
10. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	258	TO SHARE HOLDERS	257
11. नामांकन प्रपत्र	259	10. LIST OF DP SERVICE CENTRES	258
12. घोषणा	261	11. NOMINATION FORM	260
13. प्रत्याशी का बायोडाटा प्रपन्न	263	12. DECLARATION	262
14. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास		13. FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE	264
	269	14. ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS	270
15. प्रॉक्सी फार्म	271	15. PROXY FORM	272



नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की ग्यारह्वीं वार्षिक सामान्य बैठक 22 जुलाई 2013 को पूर्वाह्र 10.00 बजे ज्ञानज्योति सभागृह, सेन्ट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

- 1. यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अविध के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना।
- 2. वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए लाभांश घोषित करना ।
- 3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्राहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी. बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केन्द्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए।

"संकल्प किया जाता है कि तिन्नहित योजना और विनियमों के साथ पिठत धारा 9(3) (i) के पिरणाम स्वरूप केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2013 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अविध समाप्त होने तक (अर्थात् 26 जुलाई, 2016) तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।".

निदेशक मंडल के आदेशों के हारा

212/1934

राजीव किशोर दुबे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर दिनांक : 10-6-2013

NOTICE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Monday, the 22nd July 2013 at 10.00 am at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2013, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To declare dividend for the financial year 2012-13.
- 3. To elect three Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions] Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder and Notifications be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2013 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2016)"

By Order of the Board of Directors

R. K. DUBEY

Chairman and Managing Director

Place : Bengaluru Date : 10-6-2013



टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्यः

प्रदत्त पूँजी जुटाने और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 17 जुलाई 2013 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुकितः

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 17 जुलाई 2013 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरणः

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रकिया बैठक स्थान में दिनांक 22 जुलाई 2013, सोमवार को पूर्वाह 08.30 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

उपस्थित पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश,

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 17 July 2013.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 17 July 2013.

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.30 a.m. Monday, 22nd July 2013 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be



जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि । बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल वैध उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्कः

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट: केनरा बैंक प्लॉट संख्या 17–24, विट्ठल राव नगर माधापुर हैदराबाद– 500 081

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 6 जुलाई 2013 से सोमवार, 22 जुलाई 2013 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

8. लाभांश का भुगतान / अभिलेख तिथिः

बैंक ने वर्ष 2012-13 के लिए प्रति ईक्विटी शेयेर ₹13.00 (130%) का लाभांश घोषित किया है । उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर या यथा शुक्रवार, 5 जुलाई 2013(आगे से अभिलेख तिथि लिखा जाएगा) को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में हैं ।

बैंक द्वारा लाभांश राशि शेयरधारकों के बैंक खाते में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से जमा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने पते का परिवर्तन तथा

subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card/Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd Unit: Canara Bank Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar Madhapur HYDERABAD – 500 081

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, 6th July 2013 to the Monday, 22nd July 2013 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board has recommended a dividend of ₹13.00 per equity share (130%) for the year 2012-13. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Friday, 5th July 2013 (hereinafter referred to as Record Date).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change



बैंक खाता विवरण (नए खाता संख्या, यदि है तो, बैंक का एमआईसीआर व आईएफएस कूट) एनईएफटी / एनईसीएस द्वारा जमा सुनिश्चित करने के लिए अपने निश्चेपागार सहभागी को सूचित करें। विभौतिकृत रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने निश्चेपागार सहभागी के पास ही जाएं।

भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारक अपने बैंक खाते संबंधी विवरण बैंक के सचिवीय प्रभाग को या शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को इस नोटिस में दी गई पते पर प्रदान करें।

9. फोलियो का समेकनः

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके । आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्मूल्यांकन / डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता।

11. वार्षिक रिपोर्ट:

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site ie., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by taking up with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.



12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों (यथा संशोधित व 18.01.2013 से प्रभावी) के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) के अनुसार धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयर धारक को, जो वार्षिक आम बैठक के पहले रिजस्टर बंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्यः

निदेशकों का चुनाव

बैंक ने बैंक के शएयरधारकों के 8वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से दो निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और दो प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2010 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2013 को समाप्त हो रही है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार यदि जनता को जारी की गई प्रदत्त पूँजी 32% से ज्यादा है तो, शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को निर्वाचित किया जाना है । वर्ष 2011 में की गई योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारी के पश्चात जनता द्वारा धारित बैंक का प्रदत्त पूँजी 32.28% है और शेयरधारक बैंक के तीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अर्ह है ।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के ग्यारह्वीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में, केन्द्र सरकार से अन्य, बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों को चुनने के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है।

समझा जाएगा कि ऐसा निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई, 2013 को कार्यग्रहण कर लिया है और ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक अधिकार में रहेगा।

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act (as amended and effective from 18.01.2013), no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Cl. 68(i) of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2000, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

ELECTION OF DIRECTORS

The Bank, as part of the Eighth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for two Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and two candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2010 and the said term is expiring on 26.07.2013.

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 32%, three (3) Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves. Consequent to the issue of shares pursuant to a Qualified Institutional Placement made in 2011, the paid-up capital held by Public is 32.28 % of the Bank and the shareholders are entitled to elect 3 Directors of the Bank.

In line with Section 9 (3) (i) of the Act, the Bank has as a part of Eleventh Annual General Meeting of shareholders of the Bank, decided to conduct the election of three Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2013 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.